



लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद्
(ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में)
भारत पर्यावास केन्द्र, जोन - 5 ए (कोर-सी), द्वितीय तल
लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003.

सतर्कता प्रभाग (कपार्ट)

**Council for Advancement of People's Action
and Rural Technology**

(Under the aegis of Ministry of Rural Development, Govt. of India)
India Habitat Centre, Zone-5A (Core-C), 2nd Floor
Lodhi Road, New Delhi-110 003.

सं० 14-रीस्ट्रक्चरिंग/कपार्ट-विजीलेंस

दिनांक: 02.04.2012

कार्यालय आदेश-01/2012

कपार्ट के चालू पुनर्गठन के आलोक में, निम्नलिखित आदेश तत्काल प्रभाव से अनुपालन के लिये जारी किया जाता है:


- क) सतर्कता प्रभाग, कपार्ट, में शिकायत निवारण हेतु आवेदनपत्र स्वीकार करने के लिए एक हेल्प डेस्क कायम की गई है। श्री सैमअल वर्गिस पी०, शोध अधिकारी (सतर्कता) को हेल्प डेस्क अधिकारी घोषित किया गया है और उनसे सम्पर्क के ब्यौरे इस प्रकार है:

फोन नं० 24642395, एक्सटेंशन - 174
ई मेल capart.vig@gmail.com

उनकी छुट्टी की अवधि में, यदि कोई हो, श्री एम० आर० बालाजी, शोध अधिकारी (सतर्कता) हेल्प डेस्क का काम देखेंगे। उनसे सम्पर्क के ब्यौरे उपर्युक्त के अनुसार रहेंगे।

- ख) हेल्पडेस्क अधिकारी शिकायत को उसकी प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य दिवसों के अन्दर निवारण हेतु गन्तव्य प्रभाग को भेजेगा। संबंधित प्रभाग यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायत निवारण आवेदनपत्रों का निपटान प्राथमिकता से (हेल्प डेस्क पर आवेदनपत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के अन्दर) कर दिया गया है। किसी प्रकार विलम्ब होने पर, संबंधित प्रभाग के विभागाध्यक्ष जिम्मेदार ठहराये जाएंगे।

यह कपार्ट के महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(योगेन्द्र कुमार सिंह)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

सभी विभागाध्यक्ष
प्रतिलिपि सूचनार्थ: महानिदेशक के वरिष्ठ सचिव